



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

15 JYESHTH, 1945 (S)

No. 329

RANCHI, MONDAY 5th JUNE, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th June, 2023

Notification No.- 1/2023 – State Tax(Rate)

S.O. No. 24, Dated 5th June, 2023 -- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for

conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 01st March, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2023]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vipra Bhal)
Secretary,
Commercial taxes Department

Note: The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 15/2022 - State Tax (Rate), dated the 14th March, 2023 *vide* S.O. No. 11, dated the 14th March, 2023.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2023

अधिसूचना सं०. 1/2023- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 24, दिनांक 5 जून, 2023 -- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में , स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण,

बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2023]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2022- राज्य कर (दर), दिनांक 14 मार्च, 2023, जिसे एस. ओ. सं. 11, दिनांक 14 मार्च, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
